Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to frame rehabilitation policy from Bangladesh refugees already settled along Railway Freight Corridor.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर खड़ा हुआ हूं, जो समस्या ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और एनएफ रेलवे, इन तीनों जगहों के इलाकों में फेस की जा रही है । …(व्यवधान)

श्री महाबली सिंह : यह कोई तरीका है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल श्री एस. एस. अहलुवालिया जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी ।

… (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की है, वह भी ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और एनएफ रेलवे के माध्यम से पहुंचेगा । …(व्यवधान) हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं । … (व्यवधान)

उस वक्त, हमें आज से 51 साल पहले वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बना, वहां से जो शरणार्थी आए, उनको तत्कालीन सरकारों ने विभिन्न जगहों में, जो खाली जगहें थीं, उनमें बसा दिया । … (व्यवधान) वे सारे लोग रेल लाइन के किनारे बस गए और पिछले 51 वर्षों से वे वहां रह रहे हैं । … (व्यवधान) जब यह फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, तो इसका एक्सपेंशन होना है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति : महाबली सिंह जी, आप बैठ जाएं । केवल एस.एस. अहलुवालिया जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी ।

… (व्यवधान) …*

माननीय सभापति : पहले अहलुवालिया जी की बात समाप्त होने दीजिए ।

… (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति जी, उन्हें वहां से विस्थापित करने की परिकल्पना चल रही है । मुझे जहां तक संज्ञान है, उसके मुताबिक जब भी इस तरह से जमीन का अधिग्रहण होता है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय, दोनों मिलकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं । यह तभी संभव है जब राज्य सरकार, हमारे केस में पश्चिम बंगाल सरकार रेलवे को यदि जमीन उपलब्ध करवाती है, तभी उनका पुनर्वास हो सकता है । हमारे बंगाल के करीब-करीब सभी शहरी क्षेत्र जहां से ट्रेन गुजरती है, हर जगह बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी और उनके साथ दूसरे लोग भी बस गए हैं । वे पिछले 51 वर्षों से वहां रह रहे हैं । वे करीब तीन पुश्तों से वहां रह रहे हैं । उन्हें विस्थापित करने की जो योजना बन रही है, मेरा आपके माध्यम से प्रधान मंत्री और रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि पुनर्वास की पालिसी बनाएं और राज्य सरकार की उसमें भागीदारी डालें । जब तक पुनर्वास नीति नहीं आती है, तब तक इन्हें विस्थापित न करें ।

माननीय सभापति : श्री महाबली सिंह जी, आप अपनी बात एक या दो वाक्यों में रखें ।

माननीय सभापति : अब्दुल खालेक जी । आप कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिएगा ।